



## छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नाथं ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 0771-2439562, फ़ैक्स 0771-2331525, 2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 107 / 06 / चयन / 2024

दिनांक 05/11 / 2024

संशोधित दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार हेतु "सूचना पत्र"

### राज्य सेवा परीक्षा-2023

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 11/2023/परीक्षा/दिनांक 26/11/2023, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 29/11/2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2024/परीक्षा/दिनांक 24.01.2024 तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 02/2024/परीक्षा/दिनांक 27.05.2024 के द्वारा छ.ग.शासन के अंतर्गत 17 विभिन्न विभागों के कुल 242 विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 24, 25, 26 एवं 27 जून 2024 को किया गया तथा परीक्षा परिणाम दिनांक 29.09.2024 को जारी किया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के उपलब्धता के आधार पर कुल 703 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है। आयोग द्वारा संशोधित साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक 18.11.2024 से 28.11.2024 तक आयोजित किया जावेगा।

उपरोक्त पदों के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली- पूर्वाह्न 10.00 बजे से 01.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपराह्न 02.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार हेतु प्रथम पाली पूर्वाह्न 09.30 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न 01.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों/स्थायी जाति/निवास/आय/निःशक्तजन प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन रहेगी।

परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग  
नवा रायपुर, अटल नगर

05.11.24